भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 330

सोमवार, 02 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक)

युवाओं के लिए रोजगार सृजन

330. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में युवाओं के लिए रोजगार सृजन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) कौशल विकास और रोजगार के लिए चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के युवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या तंत्र है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में भविष्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। सर्वेक्षण की अवधि प्रतिवर्ष जुलाई से जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु का अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017-18 में 46.8% से बढ़कर 2023-24 में 58.2% हो गया है, जो दर्शाता है कि डब्ल्यूपीआर यानी रोजगार में वृद्धि की प्रवृत्ति है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत पूरे देश में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन (एसआईएम) का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से जुड़े कौशल से लैस करके उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म कामगारों, प्रवासी कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों के व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल शुरू किया था। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके पंजीकृत करना और उनका समर्थन करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम- 'वन-स्टॉप-सॉल्यूशन' भी लॉन्च किया है, जिसमें एक ही पोर्टल यानी ई-श्रम पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं का एकीकरण शामिल है। इसकी परिकल्पना में ई-श्रम के माध्यम से ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच और अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने के लिए की गई है।

केंद्र सरकार ने पिछले 29 केंद्रीय श्रम अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को मिलाने, सरल और युक्तिसंगत बनाने के बाद चार श्रम संहिताएं, अर्थात् वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 तैयार की है। ये चार श्रम संहिताएं 21 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो गई हैं।

ये चार श्रम संहिताएं परिभाषाओं और प्राधिकरणों की बहुलता को कम करती हैं, प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करती हैं, प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाती हैं। इसके साथ ही, ये असंगठित श्रमिकों सहित कामगारों के लिए उपलब्ध सुरक्षा को मजबूत करती है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है। इसके अलावा, एनसीएस पोर्टल को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए अग्रणी कौशल प्लेटफार्मों और पहलों के साथ एकीकृत किया गया है।

निजी और सार्वजनिक नियोक्ताओं/पोर्टलों/प्लेटफार्मों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करने की मंत्रालय की रणनीति का हिस्सा है। अब तक 35 से अधिक समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें स्विगी, जोमैटो, अमेज़ॅन और ज़ेप्टो जैसे निजी भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापन शामिल हैं, जो देश भर में एनसीएस पोर्टल के माध्यम से नौकरी चाहने वालों को गिग और प्लेटफ़ॉर्म-आधारित रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल को ई-श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जो गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों समेत 31 करोड़ से ज़्यादा असंगठित कामगारों का डेटाबेस है। यह सभी ई-श्रम पंजीकृत व्यक्तियों को एनसीएस पोर्टल पर उपलब्ध सभी सेवाओं, जैसे नौकरी खोजना और उससे जुड़ी सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

*****